# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन–शाखा) सतपुड़ा भवन
## म0 प्र0 भोपाल

क्रमांक/एफ/05/07/सम/उत्पा/ते.प./111 भाग–3/ 3600 भोपाल, दिनांक 8/10/17

प्रति,

1/समस्त वन संरक्षक,
मध्यप्रदेश

2/समस्त वन मण्डलाधिकारी,
मध्यप्रदेश

**विषय :– तेन्दूपत्ता के परिवहन अनुज्ञा पत्र (Transit Pass) जारी करने बाबत् ।**

---00---

विषयांतर्गत तेंदू पत्ता परिवहन के लिये आवश्यक विभिन्न अनुज्ञा पत्रों के जारी किये जाने के संबंध में प्रावधान मध्यप्रदेश तेन्दूपत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली 1996 के नियम क्रमांक 4 में किये गये है । ये प्रावधान अपने आपमें बहुत स्पष्ट है एवं इनके द्वारा खण्डीय वन पदाधिकारियों को अनुज्ञा पत्र जारी करने के संबंध में वृहत पैमाने पर शक्तियां प्रदान की गई है । वे टीपी 1 सहायक, टीपी–2, टीपी–3 एवं टीपी–4 सहायक जारी करने के लिये स्वविवेक से शासकीय अधिकारी अथवा किसी भी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकते है ।

तेन्दूपत्ता व्यापार में हित में ध्यान रखना होगा कि तेन्दूपत्ता क्रेताओं को उनके द्वारा क्रय किए गए तेन्दूपत्ते के परिवहन में आवश्यक अनुज्ञा पत्र सहजता से प्राप्त हो सकें । इसके लिये निम्नानुसार व्यवस्था की जा सकती है :–

1/ क्रेता के द्वारा शत–प्रतिशत राशि जमा कराये जाने की अवस्था में मांग किए जाने पर फड़ से ही अधिसूचित पूर्ण मात्रा के लिये परिवहन हेतु अनुज्ञा पत्र 1 (मुख्य) जारी करते हुये अनुज्ञा पत्र 1 (सहायक) जारी करने के लिए सामान्यतः पोषक अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है । यदि पोषक अधिकारी के अधिनस्थ फड़ों की संख्या अधिक हो तो विशेष प्रकरणों में फड़ अभिरक्षक को भी इस प्रयोजन हेतु अधिकृत किये जाने पर विचार किया जा सकता है ।

2/ दोहरे ताले की अवस्था में अधिसूचित मात्रा की 75 प्रतिशत मात्रा के लिए क्रेता की मांग पर अनुज्ञा पत्र 1 (मुख्य) जारी करते हुये इसी मात्रा के लिए अनुज्ञा पत्र 1 (सहायक) जारी करने हेतु उन्हें अथवा उनके प्रतिनिधि को प्राधिकृत किया जा सकता है । शेष मात्रा के लिए वास्तविक संग्रहण की मात्रा के आधार पर ऐसी कार्यवाही की जा सकती है ।

3/ सामान्य व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक गोदाम के लिये वनपाल से अनिम्न स्तर के कर्मचारी को गोदाम प्रभारी बनाया जाता है । अतः एक गोदाम से दूसरे गोदाम तक और राज्य के बाहर परिवहन हेतु टीपी–2 व टीपी–4 सहायक जारी करने के लिए इन गोदाम प्रभारियों को प्राधिकृत किया जा सकता है ।

4/ राज्य के बाहर परिवहन हेतु वन मण्डलाधिकारी सामान्य प्रक्रिया अनुसार ही अनुज्ञा पत्र 4 (मुख्य) जारी करते है । सीधे फड़ से परिवहन की स्थिति में पोषक अधिकारी को तथा गोदाम से परिवहन की अवस्था में गोदाम प्रभारी को परिवहन अनुज्ञा पत्र 4 (सहायक) जारी करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है ।

5/ कभी–कभी परिस्थितिवश किसी एक वन मण्डल में संग्रहित तेन्दूपत्ते का भण्डारण किसी दूसरे वन मण्डलाधिकारी के क्षेत्र में करना पड़ता है । गोदाम का प्रभार संग्रहण क्षेत्र के वन मण्डलाधिकारी द्वारा नियुक्त वनपाल से अनिम्न स्तर के वन अधिकारी के पास ही रहता है । गोदाम में भण्डारित पूर्ण मात्रा के लिये टीपी जारी करने हेतु संग्रहण करने वाले वन मण्डलाधिकारियों के अनुरोध पर भण्डार क्षेत्र के वन मण्डलाधिकारी राज्य के बाहर परिवहन हेतु टीपी–4 (मुख्य) जारी करते हुये टीपी–4 (सहायक) जारी करने के लिए एवं राज्य के भीतर परिवहन हेतु टीपी–2 जारी करने के लिए गोदाम प्रभारी को अधिकृत कर सकते है जो संग्रहण क्षेत्र के वन मण्डलाधिकारी के निर्देशानुसार तेन्दू पत्ते को मुक्त किये जाने पर आवश्यक टीपी–2 या टीपी–4 (सहायक) जारी करेगें ।

6/ क्रेताओं की मांग रहती है कि राज्य के बाहर परिवहन किये जाने वाले तेन्दूपत्ते के परिवहन की अवधि पूर्ण संग्रहण सीजन के लिये दी जावे ताकि उन्हें इसके लिये बारम्बार वन मण्डल कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़े । उनकी यह मांग औचित्य पूर्ण है । अतः जारी टीपी–4 मुख्य की अवधि निर्धारित करते समय इस पर विचार किया जा सकता है ।

(डॉ0 एम0 एस0 राणा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

पृ0 क्रमांक/एफ/05/07/सम/उत्पा/ते.प./111 भाग–3/ 3601 भोपाल, दिनांक 8/10/07

प्रतिलिपि :–

1/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।

2/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन, भोपाल ।

3/ प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित भोपाल ।

की ओर उनके पत्र क्र0/व्या/2/भंडा./07/11257 दिनांक 23.09.07 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल